संख्या-43/2018/797/24-1-18-6626 एसपी/95 टी0सी0

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग,
द्वितीय तल किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2018**

विषय:-उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि को राजकोष में समर्पित अंकित करते हुए उसे ग्राण्ट के रूप में आवंटित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-234/नि0नि0प्र0/ ऊर्जा, दिनांक 27.11.2000 जिसके अनुसार उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि को 31 मार्च, तक राजकोष में समर्पित करते हुए समतुल्य धनराशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाना है, के संदर्भ में शासनादेश संख्या-29/2018/630/24-1-18-6626एसपी/95 टी0सी0, दिनांक 20 मार्च, 2018 द्वारा स्वीकृत धनराशि रूपये 1,82,65,000/- (रूपये एक करोड़ बयासी लाख पैंसठ हजार मात्र) को निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के पत्र संख्या-यू0पी0ई0आर0सी0/लेखा/बजट/18-2003, दिनांक 09 मार्च, 2018 द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि के एवज में उ0प्र0 विद्वुत नियामक आयोग के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के मूल आय-व्ययक के भारित मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 1,73,10,000/- (रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख दस हजार मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2018 तक कुल रूपये 21,85,12,490/- (रूपये इक्कीस करोड़ पच्चासी लाख बारह हजार चार सौ नब्बें मात्र) की धनराशि वसूल की गयी है। उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में रूपये 1,73,10,000/- (रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख दस हजार मात्र) भारित की धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयोग द्वारा एकत्र की गयी अवशेष धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित की जायेगी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से रूपये 1,73,10,000/- (रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख दस हजार मात्र) भारित चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क - 103 संग्रहण प्रभार- विद्युत शुल्क - 04- उ0प्र0 इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गठन हेतु एक मुस्त व्यवस्था -31- सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) भारित के नामे डाला जोयगा।

4- उपरोक्त धनराशि का आहरण नगद नहीं किया जायेगा, वरन पुस्तक समायोजन द्वारा समतुल्य धनराशि प्राप्ति लेखाशीर्षक '' 0043-विद्युत कर तथा शुल्क-800- अन्य प्राप्तियॉ-01- विद्युत नियामक आयोग से प्राप्त फीस एवं फाइन्स आदि'' के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 62 /दस-2018, दिनांक 28 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-43/2018/797(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5' वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6- ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ।

7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in